

खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुडवाने हेतु ग्राम पंचायत अभिशंषा

क्रमांक /

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती पुत्र/पत्नी

निवासी तहसील जिला

राज्य का मूल निवासी है प्रार्थी का राशन कार्ड नंबर जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आता है।

प्रार्थी का परिवार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न समावेशन की सभी शर्तों को पूरा करता है।

1. प्रार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। (हाँ / नहीं)
2. प्रार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी / अर्द्धसरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी / अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये से कम वार्षिक पेंशन प्राप्त करता है। (हाँ / नहीं)
3. प्रार्थी के परिवार में किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जीविकोपार्जन में उपयोग में आता हो) साधन नहीं है। (हाँ / नहीं)
4. प्रार्थी के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। (हाँ / नहीं) नोट - रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की जानी है।
5. प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय एक लाख से कम है (हाँ / नहीं)
6. प्रार्थी के पास 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं का निर्मित मकान नहीं है। (हाँ / नहीं)

ग्राम सभा बैठक में उक्त प्रार्थी के परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने कि अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी
(मोहर सहित)

ग्राम पंचायत-
मो.नं.

हस्ताक्षर सरपंच
(मोहर सहित)

ग्राम पंचायत-
मो.नं.

हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी
(मोहर सहित)

ग्राम पंचायत-
मो.नं.

कार्यालय पंचायत समिति..... जिला

ग्राम पंचायत स्तरीय कमेटी की जाँच रिपोर्ट एवं ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत प्रार्थी / प्रार्थिया का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े जाने की अभिशंषा की जाती है।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति